भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11, 1982/भाद्र 20, 1904
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11, 1982/BHADRA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

का०नि०आ० 222.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय (श्रेणी III, अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय/लिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1967 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय (समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) भर्ती नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—यह व्यक्ति;—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6 शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 मुद्रण सहायक (तकनीकी)	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण-केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	425-14-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि जिसमें अंग्रेजी उपाधि परीक्षा में एक विषय के रूप में रही हो । 2 स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक की परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रही हो । 3 अधिमानतः किसी सरकारी मुद्रणालय में या किसी मानक प्राइवेट संगठन में या किसी सरकारी कार्यालय में प्रूफ रीडिंग का 4 वर्ष का अनुभव । 4. चार्टों/विवरणों/सारणियों के और ब्लाकों को तैयार करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए । टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जानेवाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ प्रूफ रीडर जिन्होंने इस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी--अध्यक्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण . सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	2. जी एस या ए एम शाखा के जी एस ओ/एस सी एस ओ या जी एस ओ II/सी एम ओ की प्रास्थिति का सेना मुख्यालय का प्रतिनिधि -सदस्य । 3. नौ सेना मुख्यालय का कमांडर/एम सी एम ओ या ले० कमान्डर/सी एम ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी——सदस्य 4. वायु सेना मुख्यालय का विंग कमांडर/एस सी एस ओ या स्क्वाड्रन लीडर/सी एम ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी ——सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ प्रूफ रीडर	3* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष द्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	आवश्यक : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि जिसमें अंग्रेजी उपाधि परीक्षा में एक विषय के रूप में रही हो । 2. रतन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक की परीक्षा में हिन्दी में एक विषय के रूप में ली है । 3. किसी प्रेस/समाचारपत्र या सरकारी कार्यालय में प्रूफ रीडिंग का 3 वर्ष का अनुभव । 4. मुद्रण की प्रक्रिया का ज्ञान । टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती (हैं), जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ प्रूफ रीडर जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वायु सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—अध्यक्ष 2. जी एस या ए एस शाखा से जी एस ओ 1/एस सी	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	एस ओ या जी एस ओ II/सी एस ओ की प्रास्थिति का सेना मुख्यालय का प्रतिनिधि—सदस्य 3. नौ सेना मुख्यालय का कमांडर/एस सी एस ओ या ले० कमांडर/सी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी—सदस्य 4. वायु सेना मुख्यालय का विंग कमांडर एस सी एस ओ या स्क्वाड्रन लीडर/सी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ठ प्रूफ रीडर	7* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	330-8-370-10-400 द० रो० 10-480 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष द्वीप में रहते हैं (आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	आवश्यक 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। 2. अंग्रेजी और हिंदी, प्रूफ की जांच करने का छह मास का अनुभव टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे हिंदी टंकण जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : समस्त बल मुख्यालय की लिपिकीय सेवा के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति 1 उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—अध्यक्ष 2. जी एस या ए एस मात्रा से जी एस ओ/एस सी एस ओ या जी एस ओ 1 1/सी एस ओ की प्रास्थिति का सेना मुख्यालय का प्रतिनिधि —सदस्य 3. नौ सेना मुख्यालय का कमांडर/एस सी एस ओ या ले० कमांडर/सी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य 4. वायु सेना मुख्यालय का विंग कमांडर/एस सी एस ओ या स्क्वाड्रन लीडर/जी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य	आयु लागू नहीं होगा

1	2	3	4	5	6	7
4. हिंदी टंकक	8 (7 एम टी निदेशालय में और 1 डी जी ए एफ एम एस में) टिप्पण: कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	260-6-290-द० रो० 6-326-8-366 द० रो० 8-390-10-400 रु०	प्रवरण	18 से 25 वर्ष के बीच सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप मे रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। 2 अंग्रेजी में टंकण करने की 30 शब्द प्रति मिनट की गति और हिंदी मे टंकण करने की 25 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता टिप्पण अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती (है), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हो सकेंगे।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति 1 उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—अध्यक्ष 2. जी एस म। ए एस शाखा से जी एस ओ I/एस सी एस ओ या जी एस ओ II/सी एस ओ की प्रास्थिति का सेना मुख्यालय का प्रतिनिधि—सदस्य 3. नौ सेना मुख्यालय का कमांडर/एस सी एस ओ या लै० कमांडर/सी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी—सदस्य 4 वायु सेना मुख्यालय का विंग कमांडर/एस सी एस ओ या स्कावार्डन लीडर सी एस ओ की प्रास्थिति का कोई अधिकारी—सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा० स० 79963/मु०प्र०अ०/आर-II

अ० न० कोहली, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th August, 1982

S.R.O. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters (Class III Non-Gazette Non-Ministerial/Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1967 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C' Posts in the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters, (Group 'C' Non Gazetted Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedules annexed hereto.

3. Number of the posts, classification and scale of pay.—Number of the posts, classification and the scale of pay attached hereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedules aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Printing Assistant (Technical)	1* *Note: Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: 1. Degree of a recognised University, with English as one of the subjects at the Degree Examination. 2. Should have passed Rattan or equivalent examination or have taken Hindi as one of the subjects in B.A. Examination. 3. 5 years' experience in proof reading preferably in some Government Press or Standard Private Organisation or some Government office. 4. Sound knowledge of reproduction of charts/illustrations tables and preparation of the blocks. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and th

7
Scheduled Tribes if at any stage of selection the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case if promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or/deputation or transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	Two years.	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion: Senior Proof Reader with 3 years' regular service in the grade. Transfer on Deputation: UDCs of AFHQ Clerical Service with 5 years' regular service in the grade and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column 7. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Deputy Chief Administrative Officer —Chairman. 2. Army Headquarter representative of the status of GSOI/-SCSO or GSO II/-CSO from GS or AG's Branch— Member. 3. An Officer of the status of Cdr/SCSO or Lt Cdr/CSO, Naval Headquarter—Member. 4. An Officer of the status of Wg. Cdr/-SCSO or Sqn Ldr/-CSO, Air Headquarter—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Proof Reader.	3* *Note: Subject to variation	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with	Essential: 1. Degree of a recognised University with English as one of the subjects at the Degree Examination.

2		6	7
	depending on work load.	the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	2. Should have passed Rattan or equivalent examination or have taken Hindi as one of the subjects in B.A Examination. 3. 3 years' experience in proof reading in Press Newspaper or Government office. 4. Knowledge of the process of printing. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretions of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No.	Two years.	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion: Junior Proof Reader with 3 years' regular service in the grade. Transfer on Deputation: LDCs of AFHQ Clerical Service with 8 years' regular service in the grade and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Deputy Chief Administrative Officer —Chairman. 2. Army Headquarter representative of the status of GSO I/SCSO or GSO II/CSO from GS or AG'S Branch—Member. 3. An Officer of the status of Cdr/SCSO or Lt. Cdr/CSO, Naval Headquarter—Member. 4. An Officer of the status of Wg Cdr/SCSO or Sqn Ldr/CSO, Air Headquarter—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Junior Proof Reader	7* *Note :– Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Non-Selection	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit thall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : 1. Matriculation or equivalent with English as one of the subjects. 2. Six months experience in checking proofs in English and Hindi. Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection of the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
4. Hindi Typist	8* (7 in MT Dte & 1 in DG AFMS) *Note :– Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Lakshadweep).	Essential : 1. Matriculation or equivalent with English as one of the subjects. 2. Ability to type in English at a minimum speed of 30 wpm and to type in Hindi at a minimum speed of 25 wpm. Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment	Promotion : Hindi Typist with 5 years regular service in the grade. Transfer on Deputation : LDCs of AFHQ Clerical service with 5 years regular service in the grade and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.	Group 'C' D.P.C. : 1. Deputy Chief Administrative Officer—Chairman. 2. Army Headquarter repretentative of the status of GSO I/SCSO or GSO II/CSO from GS or AG's Branch —Member.	Not applicable

8	9	10	11	12	13
			(The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	3. An officer of the status of Cdr/SCSO or Lt Cdr/CSO, Naval Headquarter—Member. 4. An officer of the status of Wg Cdr/SCSO or Sqn Ldr/CSO, Air Headquarter—Member	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' D.P.C. : (for confirmation of direct recruits). 1. Deputy Chief Administrative Officer—Chairman. 2. Army Headquarter representative of the status of GSO I/SCSO or GSO II/CSO from GS or AG's Branch—Member. 3. An Officer of the status of Cdr/SCSO or Lt. Cdr/CSO, Naval Headquarter—Member. 4. An officer of the status of Wg. Cdr/SCSO or Sqn. Ldr/CSO, Air Headquarter—Member	Not applicable

[F. No. 79963/CAO/R-II]
A. N. KOHALI
Dy. Chief Administrative Office

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

का०नि०आ० 223—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी लेखा संहिता का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम, की धारा 280 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उस के पश्चात् विचार किया जायेगा।

उपरोक्त अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी लेखा संहिता (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 छावनी लेखा संहिता 1924 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संहिता कहा) गया है, नियम 2 में,—

(1) खंड (क) का लोप किया जायेगा; और

(2) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख)" "रक्षा लेखा नियंत्रक, कमान" से संबद्ध छावनी की बाबत अधिकारिता रखने वाला रक्षा लेखा नियंत्रक अभिप्रेत है।"

3. उक्त संहिता में, "महालेखापाल" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं "रक्षा लेखा नियंत्रक, कमान" शब्द रखे जायेंगे।

4. उक्त संहिता के नियम 10 के उपनियम (1) में "छावनी निधि, के लेखाओं का" शब्दों के "पश्चात् जिनके अन्तर्गत साधारण भविष्य निधि, अभिदायी भविष्य निधि और पेंशन निधि लेखा भी है" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

5 उक्त संहिता के नियम 28 के दूसरे पैरा में, "ऐसे मामलों में जहां धन बैंक में जमा किया जाता है" शब्दों के स्थान पर "ऐसे मामलों में जहां धन, यथास्थिति किसी चालू खाते या किसी बैंक बचत खाते में निक्षेप के लिये जमा किया जाता है" रखे जायेंगे।

6 उक्त संहिता के नियम 53 में "छावनी भविष्य निधि नियमों के अधीन छावनी भविष्य निधि" शब्दों के स्थान पर "छावनी निधि सेवक नियम, 1937 के भाग 3 भाग 4 में यथा उपबंधित अभिदायी भविष्य निधि या साधारण भविष्य निधि" शब्द रखे जायेंगे।

7 उक्त संहिता के नियम 54 को उस नियम के उप-नियम (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम के पूर्व निम्नलिखित उप-नियम उस नियम के उप-नियम (1) के रूप में अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"नियम (1) 54(2), 55 और 56 के उपबन्ध इसके पश्चात् बोर्ड द्वारा अनुरक्षित साधारण भविष्य निधि और अभिदायी भविष्य निधि, दोनों को आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"

8 उक्त संहिता के नियम 61 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

अध्याय 4-क पेंशन लेखे

61क (1) पेंशन निधि का लेखा प्ररूप 28-ख (पेंशन निधि म विनिधान), छावनी 34-ग (पेंशन विवरण), 34-ख (पेंशन नामावली) और 36-ख (पेंशन निधि लेखा), मे रखे जायेंगे।

(2) लेखापाल, प्रत्येक मास की 15 तारीख तक, पेंशन निधि लेखा (छावनी 36-ख) और पेंशन निधि विनिधान लेखा (छावनी-28-ख) में शेष राशि का उसके बैंक खाता, डाकघर और अन्य खातों के साथ मिलान करते हुए एक मिलान विवरण तैयार करेगा। फर्क के लिये, यदि कोई हो, मिलान-विवरण सत्यापन किया जायेगा और मास की समाप्ति से पूर्व कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित की जायेगी।

9 उक्त की अनुसूची -1 मे,--

(1) श्रेणी-1 मे प्रविष्टि संख्या 8 को प्रविष्टि संख्या 9 के रूप म पुन संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन संख्यांकित प्रविष्टि के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात् :--

(8) पेंशन निधि लेखा (प्ररूप स० छावनी -36-ख)"

(2) श्रेणी-2 के अधीन प्रविष्टि सं० (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :--

"(2) पेंशन विवरण (प्र० सं० छावनी 34-ख)",

(3) श्रेणी-3 के अधीन प्रविष्टि स० (7) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :--

"(8) पेंशन नामावली प्ररूप स० 35-ख)'

10 उक्त संहिता की अनुसूची 2 मे,--

(1) प्ररूप स० छावनी 1-ख मे, "एक-साधारण प्रयोजनों के लिये अभिदाय' शीर्षक के अधीन मद (1), मे, उप-मद) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :--

"(ग) पेंशन/उपदान मे अभिदाय 1',

(2) प्ररूप स० छावनी 33-ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप छावनी 34-ख --पेंशन विवरण

प्ररूप छावनी 35-ख--पेंशन नामावली

प्ररूप छावनी 36-ख--पेंशन लेखा।'

पत्र स० छावनी 34-ख [नियम 61-क (1)]

(पूरे कागज पर मुद्रित किया जाए)

पेंशन का विवरण

सेवक का नाम — पुष्टि की तारीख

सेवा निवृत्ति की तारीख

जन्म की तारीख — स्थायी पद का वेतनमान

नियुक्ति की तारीख

बोर्डों के नाम, जहां सेवा की है

(से तक)

बोर्ड का नाम	स्थायी सेवा की अवधि	अर्हक सेवा की अवधि	औसत उपलब्धियां	अनुपातत (प्रति माह)	टिप्पणी

लेखापाल

स्थान — अग्रेषित-------------------- — कार्यपालक अधिकारी

तारीख

प्रपत्र स० छावनी 35-ख [नियम 61-क (1)]

पेंशन नामावली

बोर्ड का नाम — वर्ष--------------------

क्रम स०	पात्र सेवक/दावेदार का नाम पदनाम, पता	नियुक्ति की तारीख	पुष्टि की तारीख	सेवानिवृत्ति/आकस्मिकता की तारीख	पेंशन प्रतिमास	अन्य बोर्डों से ए० पी० आर० सी०	ए० पी० आर० सी० की प्राप्ति सं०/तारीख	टिप्पणी
योग								

लेखापाल — स्वीकृत किया — अधिशासी अधिकारी

उप निदेशक, सैनिक भूमि तथा छावनी---------------कमान

सं० छावनी 36-ख [नियम 61-क (1)] पेंशन निधि लेखा वर्ष———

(पूरे कागज पर मुद्रित किया जाए)

बोर्ड का नाम

जमा						नामे					
तारीख	विवरण	जमा राशि	बैंक का नाम	बाउचर सं०	छा० अ० अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान प्रदाता का विवरण	भुगतान का स्वरूप	राशि	बाउचर सं० तारीख	छा० अ० अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी

मिलान विवरण

भविष्य निधि लेखा के अनुसार अंत अभिशेष सं०———

जमा न की गई आय घटाएं रु०———

कुल . . . . . .

बिना भुनाए चैकों की राशि जमा करें रु०———

भविष्य निधि लेखे के ब्यौरे के अनुसार शेष राशि रु०———

लेखापाल

तारीख———

कार्यपालक अधिकारी

तारीख———

[फाइल संख्या 25/51-ए/सी/एल० एंड सी० 72/(पीसी) 5610/डी० (क्यू ए सी)]

New Delhi, the 25th August, 1982

S.R.O. 223.—The following draft of certain rules further to amend the Cantonment Account Code, 1924 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 280 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the said period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Cantonment Account Code (Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cantonment Account Code, 1924 (hereinafter referred to as the said Code), in rule (2),—

(i) clause (a) shall be omitted; and

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

'(bb) "Controller of Defence Accounts, the Command" means the Controller of Defence Accounts having jurisdiction in respect of the Cantonment concerned.'

3. In the said Code, for the words "Accountant General", wherever they occur, the words "Controller of Defence Accounts, the Command" shall be substituted.

4. In rule 10 of the said Code, in sub-rule (1), after the words "accounts of the Cantonment Fund", the words "including General Provident Fund, Contributory Provident Fund, and Pension Fund Account" shall be inserted.

5. In rule 28 of the said Code, in second paragraph, after the words "in cases where the money is deposited with a bank", the words "for deposit either in a current account or in a savings bank account, as the case may be" shall be inserted.

6. In rule 53 of the said Code, for the words "Cantonment Provident Fund under the Cantonment Provident Fund Rules", the words "Contributory Provident Fund or General Provident Fund as provided in Part III and Part IV of the Cantonment Fund Servants Rules, 1937" shall be substituted.

7. Rule 54 of the said Code shall be renumbered as sub-rule (2) of that rule and before the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted as sub-rule (1) of that rule, namely :—

"Provisions of rule 54(2), 55 and 56 hereinafter shall apply, *mutatis mutandis*, to both General Provident Fund and Contributory Provident Fund maintained by the Board."

8. After rule 61 of the said Code, the following heading and rule shall be inserted, namely :—

"CHAPTER IV-A : PENSION ACCOUNTS.—61A. (1) Pension fund accounts shall be maintained in forms 28-B (investments from the Pension Fund), Cantonment 34-B (Pension Statement), 35-B (Pension Scroll) and 36-B (Pension Fund Account).

(2) By the 15th day of every month, the Accountant shall prepare a reconciliation statement tallying the balance in the Pension Fund Account (Cantt. 36-B) and Pension Fund Investment Account (Cantt. 28-B) with those of bank accounts, Post Offices or other accounts. For discrepancy, if any, the reconciliation statement shall be verified and certified to be correct by the Executive Officer before the close of the month."

9 In Schedule I to the said Code,—

(i) under Class I, entry number 8 be renumbered as entry number 9 and before the entry as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely :—

"(8) Pension Fund Account (Form No. Cant. 36-B)";

(ii) under Class II, after entry number (1), the following entry shall be inserted, namely :—

"(2) Pension Statement (Form No. Cant. 34-B)";

(iii) under Class III, after entry number (7), the following entry shall be inserted, namely :—

"(8) Pension Scroll (Form No. Cant. 35-B)".

10. In Schedule II to the said Code,—

(i) in form No. Cant. I-B, under the heading "H-contribution for general purposes", in item (1), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely :—

"(c) Contribution of Pension/Gratuity.";

(ii) after form No. Cant. 33-B, the following forms shall be inserted, namely :—

"Form Cant. 34-B—Pension Statement.

Form Cant. 35-B—Pension Scroll.

Form Cant. 36-B—Pension Account."

Form No. Cant. 34-B (Rule 61A(1))
(To be printed on foolscap)

Pension Statement

Name of Servant :
Date of Birth :
Date of Appointment :

Date of confirmation :
Date of Retirement :
Scale of Pt. Post :

Name of Boards where served

(From to)

Name of Board	Period of Pt. Service	Period of Qualifying Service	Average Emoluments	Pro Ratta Contribution (p.m.)	Remarks

Accountant
Place :
Date :

Executive Officer

Forwarded to

Form No. Cant. 35-B (Rule 61A(1))

Pension Scroll

Name of Board

Year

Sl. No.	Name, designation, address of eligible Servant/claimant	Date of Appointment	Date of Confirmation	Date of Retirement/ Contingency	Pension per month	APRC from Other Board	No./date of receipt of APRC	Remarks

Total :

Accountant

Sanctioned :

Executive officer

Deputy Director, ML & C
————————Command

Form No. Cant 36-B (Rule 61A(1)
(To be printed on foolscap)

Pension Fund Account

Year

Name of Board :

CREDITS						DEBITS					
Date	Particulars	Amount deposited	Name of Banks	Voucher No.	Initial of C.E.O.	Particulars of payment/ payee	Nature of payment	Amount	Voucher Cheque No., date	Initial of C.E.O.	Remarks

Reconciliation statement

Closing balance per PF A/C Rs. ————————
Deduct income not credited Rs. ————————
Total Rs. ————————
Add amount unencashed cheques. Rs. ————————
Balance as per PF A/C Details Rs. ————————

Accountant.
Dated————————

Executive Officer
Dated————————"

[No. 25/51-A/C/L & C/72 (PC) 5610/DQ & C]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1982

का०नि०आ० 224.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2), धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नल एन०के० भंडारी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने के कारण छावनी बोर्ड दानापुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाईल संख्या 19/1/सी/एल एण्ड सी/65/सी/5653/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 27th August, 1982

S.R.O. 224.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Dinapore by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Col. N. K. Bhandari.

[F. No. 19/1/C/L&C|65|5653-C|D(Q&C)]

का०नि०आ० 225.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा लेफ्टि० कर्नल टी० वासुदेवन को छावनी बोर्ड दानापुर का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन कर्नल एन०के० भण्डारी के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाइल संख्या 19/1/सी/एल एण्ड सी/65/सी/5653/डी (क्यू एण्ड सी)]
पी० एस० फतेउल्लाह, अवर सचिव

S.R.O. 225.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. T. Vasudevan has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Dinapore vice Col. N. K. Bhandari who has resigned.

[F. No. 19/1/C/L&C|65|5653-C|D(Q&C)]
P. S. FATEHULLAH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1982

का०नि०आ० 226.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) धारा 280 की उपधारा (2) के खण्ड (गग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 45 दिन की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक भूमि और छावनी (छावनी अधिशासी अधिकारी) सेवा (समूह ख) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "विभागीय प्रोन्नति समिति" सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिये गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) "कर्तव्य पद" से नियम 4 के उपनियम (1) में सम्मिलित पद अभिप्रेत है;

(घ) "परीक्षा" से वह परीक्षा अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित परीक्षा की स्कीम के अनुसार सेवा में नियुक्त के लिये महानिदेशक, सैनिक भूमि और छावनी द्वारा ली जाती है;

(ङ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घ कालीन नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किये जाने के पश्चात् श्रेणी में सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है; और उसमें ऐसी कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं;

(1) जो सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिये हिसाब में ली जाती है,

(2) जिसके दौरान ऐसा अधिकारी जो यदि छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिये उपलब्ध नहीं होता तो उस श्रेणी में कर्तव्य पद को धारण करता;

(छ) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और 25 में क्रमश उनके हैं;

(ज) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित सैनिक भूमि और छावनी (छावनी अधिशासी अधिकारी) सेवा (समूह ख) अभिप्रेत है,

3. सैनिक भूमि और छावनी (छावनी अधिशासी अधिकारी) सेवा (समूह ख) का गठन :—सैनिक भूमि और छावनी (छावनी अधिशासी अधिकारी) सेवा (समूह ख) के नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे। सेवा में सम्मिलित किए गए पद समूह ख के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

4. सेवा की प्राधिकृत संख्या और उसका पुनरीक्षण :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को, सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं :—

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	छावनी अधिशासी अधिकारी	26	रु० 650-30-740-35-810 द०रो०-35-880-40 1000-द०रो०-40-1200.

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार कर्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी परिवर्तन या विलोपन जैसे समय पर आवश्यक समझे कर सकती है।

(4) सरकार उपनियम (1) में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को आयोग के परामर्श से सेवा में मिला सकती है या इस नियम में सम्मिलित किसी पद को सेवा में अपवर्जित कर सकती है।

(5) सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद इस नियम के उपनियम (1) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया जाता है किसी अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में, जैसा भी ठीक समझा जाए आयोग के परामर्श से नियुक्त कर सकती है, और उसको उपेष्ठता सदृश श्रेणी में लगातार नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् निश्चित कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य – (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे

(क) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ पर नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त किए जाएं ऐसे प्रारम्भ की तारीख से।

(ख) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् कर्तव्य पदों पर नियुक्त किए जाएं उस तारीख से जिस तारीख को वे नियुक्त किए जाते हैं।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, जैसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति तत्स्थानी श्रेणी में ऐसी नियुक्ति की तारीख से सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का आरम्भ गठन – (1) इन नियमों का प्रारम्भ की तारीख को भूतपूर्व सैनिक भूमि और छावनी सेवा में नियमित आधार पर छावनी अधिशासी अधिकारी (समूह ख) के पद पर नियुक्त सभी अधिकारी, सैनिक भूमि और छावनी सेवा (छावनी अधिशासी अधिकारी) सेवा (समूह ख) में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

टिप्पण :—उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, सेवा में उनकी नियुक्ति के पूर्व की नियमित लगातार सेवा, सेवा में प्रोन्नति, पुष्टि और पैंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

(2) उस सीमा तक जिस तक सेवा में प्राथमिकृत नियमित संख्या आरम्भिक गठन के समय नहीं भरी जाती है, वह नियम 7 के अनुसार भरी जाएगी।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण :– (1) नियम 6 के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा सेवा का आरम्भिक गठन पूरा होने के पश्चात रिक्तियां इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से भरी जाएंगी।

(2) सेवा में रिक्तियों का 50 प्रतिशत ऐसे कार्यालय अधीक्षक श्रेणी I, कार्यालय अधीक्षक श्रेणी II, और तकनीकी सहायकों में से भरा जाएगा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/विद्यालय से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की है और 3 वर्ष की कुल नियमित सेवा की है। चयन सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित परीक्षा की स्कीम के अनुसार महानिदेशक सैनिक भूमि और छावनी द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उन अवसरों की अधिकतम संख्या जो किसी अभ्यर्थी को मिल सकते हैं, तीन तक निबन्धित रहेंगे।

(3) सेवा में रिक्तियों का अवशेष 50 प्रतिशत छावनी बोर्डों में ऐसे अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरा जाएगा जो कम से कम 425-700 प्रतिमास मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/विद्यालय से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की है और छावनी बोर्ड में 20 वर्ष लगातार सेवा की है। चयन, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित परीक्षा की स्कीम के अनुसार महानिदेशक सैनिक भूमि और छावनी द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उन अवसरों की अधिकतम संख्या जो किसी अभ्यर्थी को मिल सकते हैं, तीन तक निबन्धित रहेंगे।

टिप्पण :—20 वर्ष की अर्हक सेवा की गणना करते समय, किसी कर्मचारी का केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में अनुभव भी गणना में लिया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसे सैनिक भूमि और छावनी सेवा/छावनी बोर्ड में स्थायी रूप से आमेलित कर लिया जाता है और उसने, यथास्थिति सैनिक भूमि और छावनी सेवा/छावनी बोर्ड में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है।

8. परिवीक्षा – (1) सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा हो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा, परन्तु यह कि सरकार, समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगी

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार की बाबत विनिश्चय, आरम्भिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्, सामान्यतः छह और आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और यदि परिवीक्षा अवधि में विस्तार किया जाता है तो उस दशा में उसकी सूचना कारणों सहित कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

(2) परिवीक्षा की अवधि के पूरा हो जाने पर, व्यक्तियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य समझा जाता है तो नियमित आधार पर उन्हें उनकी नियुक्ति पर प्रतिधारित किया जाएगा और सम्यक अनुक्रम में उपलब्ध स्थायी रिक्तियों पर उन्हें पुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है या यदि परिवीक्षा की ऐसी अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी ऐसी परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, तो सरकार अभ्यर्थी को यथास्थिति सेवोन्मुक्त कर सकती है, या उसके अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(4) सरकार, परिवीक्षा की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के पाठ्यक्रम को पूरा करने और ऐसी परीक्षाएं तथा परीक्षण (जिनके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करने को, जो वह ठीक समझे, परिवीक्षा के समाधान प्रद रूप में पूरा करने की एक शर्त के रूप में अपेक्षा कर सकेगी।

9. सेवा के सदस्य की सेवा में नियुक्ति तैनातियां और उनका स्थानान्तरण – सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी और सेवा के सदस्यों की तैनातियां और उनका स्थानान्तरण महानिदेशक, रक्षा लेखा और छावनी द्वारा किया जाएगा।

10. भारत के किसी भाग में सेवा के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें – (1) सेवा में नियुक्त किए गए आफिसर भारत में या भारत से बाहर किसी स्थान पर सेवा करने के दायी होंगे।

(2) आफिसर, यदि उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है तो सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग में या सरकार के निगमों और औद्योगिक उपक्रमों में सेवा करने के दायी होंगे।

(3) उन मामलों की बाबत जिनकी बाबत इन नियमों में उपबन्ध नहीं किए गए हैं, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वैसी ही होंगी जो साधारण तथा केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को समय समय पर लागू होती है।

11. निरर्हताएं यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

15. निरसन —समय पर यथा संशोधित सैनिक भूमि और छावनी सेवा (समूह क और समूह ख) नियम, 1951 का, जहां तक वे उन पदों से संबंधित है जिनको यह नियम लागू होते हैं, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु यह कि ऐसे निरसन के पूर्व उक्त नियमों के अधीन की गई किसी बात या किए गए किसी कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फाइल सं० 103/44/एलम/एल एण्ड सी (प.स.)]

New Delhi, the 27th August, 1982

S.R.O. 226.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1, read with clause (cc) of sub-section 2 of section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the following draft of the rules is hereby published as required by sub-section 1 of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement —(1) These rules may be called the Military Lands and Cantonments (Cantonment Executive Officers) Service (Group B) Rules, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context othercation in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise required :—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion and confirmation in the Service;

(c) "Duty post" means a post, whether permanent or temporary, included in sub-rule (1) of rule 4.

(d) "Examination" means the examination which may be held by the Director General, Military Lands and Cantonments for appointment in the Service in accordance with the scheme of examination as may be prescribed by the Government from time to time;

(e) "Government" means the Government of India;

(f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or period of service in the grades rendered after selection according to the prescribed procedure for long term appointment to that grade and includes any period or periods :-

(i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the constitution; and

(h) "Service" means the Military Lands and Cantonments (Cantonment Executive Officers) Service (Group B) constituted under rule 3.

3. Constitution of the Military Lands and Cantonments (Cantonment Executive Officers) Service (Group B) :- There shall be constituted a Service known as the Military Lands and Cantonments (Cantonment Executive Officers) Service (Group B) consisting of persons to the Service under rules 6 and 7. All the posts included in the Service shall be classified as Group B posts.

4. Authorised strength of the Service and its review.—(1) The duty posts included in the Service, their number and scale of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified below :—

Sl No	Name of the post	No. of posts	Scale of pay
1	Cantonment Executive Officer (Group B)	26	Rs 650-30-740-35 810 EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 .

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts shall be such as may, from time to time be determined by the Government

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the duty posts as deemed necessary from time to time

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in sub-rule (1) or exclude from the Service a post included in the said sub-rule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) of this rule to the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority after taking into account continuous regular service in the analogous grade

5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be members of the service :—

(a) Persons appointed to the Service at the commencement of these rules under rule 6 from the date of such commencement.

(b) Persons appointed to duty posts after the commencement of these rules from the date they are so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such commencement, be deemed to be a member of the Service in the corresponding grade.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding grade from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service.—(1) All officers appointed to the posts of Cantonment Executive Officers (Group B) in the erstwhile Military Lands and Cantonments Service on regular basis on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the Military Lands and Cantonments (Cantonment Executive Officers) Service (Group B).

NOTE.—The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) to their appointment to the Service shall count for the purposes of qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.

(2) To the extent the authorised regular strength in the Service is not filled at the time of the initial constitution, it shall be filled in accordance with rule 7.

7. Future maintenance of the Service.—(1) After the initial constitution of the Service has been completed by the appointment of officers in accordance with rule 6, vacancies shall be filled in the manner as hereafter provided.

(2) 50 per cent of the vacancies in the Service shall be filled by promotion from Office Superintendents Grade I, Office Superintendents Grade II and Technical Assistants, who have passed the Matriculation Examination from a recognised University/Board/School or equivalent and have rendered 20 years of total regular service. The selection shall be made on the basis of the examination held by the Director General, Military Lands and Cantonments in accordance with the scheme of examination as may be prescribed by the Government from time to time. The maximum number of chances which would be availed by a candidate will be restricted to three.

(3) The remaining 50 per cent vacancies in the Service shall be filled by transfer from among the employees of the Cantonment Boards drawing a basic salary of not less than Rs. 425 per month who have passed the Matriculation Examination from a recognised University/Board/School or equivalent and have rendered 20 years continuous service in the Cantonment Board. The selection shall be made on the basis of the Examination held by the Director General, Military Lands and Cantonments in accordance with the scheme of examination as may be prescribed by the Government from time to time. The maximum number of chances which could be availed of by a candidate will be restricted to three.

NOTE.—While computing 20 years' of qualifying service, experience of an employee in any other Department of the Central Government will be taken into account provided he has been permanently absorbed in the Military Lands and Cantonments Service/Cantonment Board and has put in minimum 5 Years' regular service in the Military Lands and Cantonments Service/Cantonment Board, as the case may be.

8. Probation.—(1) Every person on appointment to the Service either by promotion or transfer shall be on probation for a period of two years :

Provided that the Government may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time :

Provided further that the decision regarding the extension of probation period should be taken immediately after the expiry of the initial probationary period ordinarily within a period of 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of any extension in the probationary period.

(2) On completion of the period of probation, persons shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if, at any time during such period of probation, or extension thereof, the Government is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiry of such period of probation, or extension thereof, the Government may, discharge or revert the candidate to his substantive post, as the case may be, or pass such orders as they deem fit.

(4) During the period of probation, the candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

9. Appointment to the Service, postings and transfers of members of the Service.—All appointments to the Service shall be made by the Government and the postings and transfers of the members of the Service shall be made by the Director General, Defence Lands and Cantonments.

10. Liability for service in any part of India and other conditions of Service.—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in any other Ministry/Department of the Government or Corporations and Industrial Undertakings of the Government.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in the rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Services, in general.

11. Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

14. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

15. Repeal.—The Military Lands and Cantonments Service (Group A and Group B) Rules, 1951 as amended from time to time and in so far as they relate to posts to which these rules are applicable are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken under the said rules, before such repeal.

[File No. 103/44/ADM/L&C (PC)]

का०नि०आ० 227.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उपधारा (2) के खंड ग के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, से 45 दिन की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक भूमि और छावनी (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) सेवा (समूह ख) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) आयोग से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ख) "विभागीय प्रोन्नति समिति" सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है,

(ग) 'कर्तव्य पद' से चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी नियम 4 के उपनियम (1) में सम्मिलित पद अभिप्रेत है।

(घ) 'सरकार' से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(ङ) किसी श्रेणी के संबंध में 'नियमित सेवा' से उस श्रेणी में दीर्घकालीन नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए जाने के पश्चात श्रेणी में सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और उसमें ऐसी कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं।

(i) जो सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाती है,

(ii) जिसके दौरान ऐसा अधिकारी जो छुट्टी पर या अन्य पद पर होने के कारण या अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता तो उस श्रेणी में कर्तव्य पद को धारण करता

(च) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के क्रमश वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और 25 में क्रमश उनके हैं

(ज) 'सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित सैनिक भूमि और छावनी (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) सेवा (समूह ख) अभिप्रेत है,

3. सैनिक भूमि और छावनी (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) (सेवा समूह ख) का गठन

सैनिक भूमि और छावनी (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) सेवा (समूह ख) के नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे। सेवा में सम्मिलित किए गए सभी पद समूह ख के रूप में वर्गीकृत किए जायेंगे।

4. सेवा की प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को, सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पद उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट है —

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की सं०	वेतनमान
1	सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी	30	रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात कर्तव्य पद की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार कर्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी परिवर्तन या विलोपन जैसा समय समय पर आवश्यक समझे कर सकती है।

(4) सरकार आयोग के परामर्श से सेवा में उपनियम (1) में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को मिला सकती है या उक्त नियमों में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकती है।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी का जिसका पद इस नियम के उपनियम (4) के अधीन सम्मिलित है, सेवा में किसी अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में, जैसा भी वह ठीक समझा जाए नियुक्त कर सकती है, और उसकी ज्येष्ठता सदृश श्रेणी में लगातार नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् नियत कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे

(क) वे व्यक्ति जो नियम 6 के अधीन इन नियमों के प्रारम्भ पर सेवा में नियुक्त किए जाएं, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से।

(ख) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् कर्तव्य पदों पर नियुक्त किए जाएं उस तारीख से जिस तारीख को वे नियुक्त किए जाते हैं।

(2) उपनियम (1) के खण्ड क के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ की तारीख को तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति तत्स्थानी श्रेणी में ऐसी नियुक्ति की तारीख से सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का आरंभिक गठन

(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को भूतपूर्व सैनिक भूमि और छावनी सेवा में नियमित आधार पर सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त सभी अधिकारी, सैनिक भूमि और छावनी सेवा (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) सेवा (समूह ख) में नियुक्त किए गए समझे जायेंगे।

टिप्पण उपनियम (1) में उल्लिखित आफिसरों की, सेवा में उनकी नियुक्ति के पूर्व की नियमित लगातार सेवा, सेवा में प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

(2) उस सीमा तक जिस तक सेवा में प्राधिकृत नियमित संख्या आरम्भिक गठन के समय नहीं भरी जाती है, वह नियम (7) के अनुसार भरी जाएगी।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण

(1) नियम 6 के अनुसार आफिसरों की नियुक्ति द्वारा सेवा के प्रारम्भिक गठन पूरा होने के पश्चात् रिक्तियां इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से भरी जाएंगी।

(2) सेवा में अधिष्ठायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत आयोग द्वारा इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आयु सीमा, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव के अनुसार किए गए चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए चयन का क्षेत्र वह होगा जो नीचे उल्लिखित है :

"केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण करते हैं और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूची में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।"

(3) अधिष्ठायी रिक्तियों का अवशेष 50 प्रतिशत और सेवा में सभी अस्थायी रिक्तियां ऐसे व्यक्तियों का गुणागुण के अनुसार चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरी जाएंगी जिनका नाम नीचे यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति के क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा के अनुसार तैयार किए गए पैनल में ज्येष्ठता के क्रम में पैनल में सम्मिलित किए गए हैं :—

(क) (i) अधीक्षक बी/आर श्रेणी 1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(ii) ऊपर (i) के न हो सकने पर अधीक्षक बी/आर श्रेणी 1 जिन्होंने अधीक्षक बी/आर श्रेणी 1 और सब डिवीजन आफिसर की श्रेणियों में मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

(iii) ऊपर (ii) के न हो सकने पर ऐसे सब डिवीजनल आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीसी/सिविल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमा या समतुल्य रखता है।

(4) प्रोन्नति और पुष्टि के लिए अधिकारियों का चयन नीचे विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा :—

1. संयुक्त सचिव (पी एण्ड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय	अध्यक्ष
2. महानिदेशक/उप महानिदेशक सैनिक भूमि और छावनी	सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक आफिसर रक्षा मंत्रालय	सदस्य

टिप्पण 1 : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

टिप्पण 2 : यदि सेवा में नियुक्ति के लिए किसी आफिसर पर विचार किया जाता है तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है।

8. परिवीक्षा

(1) सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो या प्रोन्नति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। परन्तु यह कि सरकार समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार की बाबत विनिश्चय प्रारम्भिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् सामान्यतः छह और आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और यदि परिवीक्षा अवधि में विस्तार किया जाता है तो उस दशा में उसकी संसूचना कारणों सहित कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

(2) परिवीक्षा की अवधि के पूरा हो जाने पर व्यक्तियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य समझा जाता है तो नियमित आधार पर उन्हें उनकी नियुक्ति पर प्रतिधारित किया जाएगा और सम्यक् अनुक्रम में उपलब्ध स्थायी रिक्तियों पर उन्हें पुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है या यदि परिवीक्षा की ऐसी अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी ऐसी परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा तो सरकार अभ्यर्थी को यथास्थिति सेवोन्मुक्त कर सकती है या उसके अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(4) सरकार परिवीक्षा की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के पाठ्यक्रम को पूरा करने और ऐसी परिक्षाएं तथा परीक्षण (जिनके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करने की, जो वह ठीक समझे परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की एक शर्त के रूप में अपेक्षा कर सकेगी।

9. सेवा के सदस्यों की सेवा में नियुक्ति तैनातियां और उनका स्थानान्तरण :—

सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी और सेवा के सदस्यों की तैनातियां और उनका स्थानान्तरण महानिदेशक रक्षा भूमि और छावनी द्वारा किया जाएगा।

10. भारत के किसी भाग में सेवा के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें

(1) सेवा में नियुक्त किए गए आफिसर भारत में या भारत से बाहर किसी स्थान पर सेवा करने के दायी होंगे।

(2) आफिसर यदि उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है तो सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग में या सरकार के निगमों और औद्योगिक उपक्रमों में सेवा करने के दायी होंगे।

(3) सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है तो कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि भी है यदि कोई है भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा में या पद पर सेवा करने का दायी होगा, परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति से—

(क) उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सामान्यतः यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) उन मामलों की बाबत जिनकी बाबत इन नियमों में उपबन्ध नहीं किए गए हैं, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वैसी ही होंगी जो साधारण तथा केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं।

11. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14 निर्वचन यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

15 निरसन सैनिक भूमि और छावनी सेवा (समूह क और समूह ख) नियम 1951 जहां तक वे उन पदों से संबंधित हैं जिनको ये नियम लागू होते हैं, इनके द्वारा निरसित किए जाते हैं, परन्तु यह कि ऐसा निरसन उक्त नियमों के अधीन ऐसे निरसन के पूर्व की गई किसी बात या किए गए किसी कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

(नियम 7 का उपनियम 2 देखें)

सैनिक भूमि और छावनी (सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी) सेवा (समूह ख) में सम्मिलित किए गए सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा।

(क) आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण —आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले (उनसे भिन्न जो अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।

(ख) शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव--

आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।

(ii) दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

[फा सं 10 3 41/एम/एल/एण्ड सी (पी सी)]

एस॰ पी॰ सेनजा, अवर सचिव

S.R.O 227.—In exercise of the powers conferred by sub section 1, read with clause (cc) of sub section 2 of section 280 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924), the following draft of the rules is hereby published as required by sub section 1 of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of fortyfive days from the date on which copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1 Short title and commencement —(1) These rules may be called the Military Lands and Cantonments (Assistant Military Estates Officers) Service (Group B) Rules 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Definitions —In these rules unless the context otherwise requires —

(a) Commission means the Union Public Service Commission.

(b) Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion and confirmation in the service,

(c) Duty post means a post whether permanent or temporary included in sub rule (1) of rule 4,

(d) Government means the Government of India,

(e) Regular service in relation to any grade means the period or periods of service in the grade rendered after selection according to the prescribed procedure for long term appointment to that grade and include any period or periods —

(i) taken into account for purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service,

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts

(f) Schedule means a Schedule to these rules,

(g) Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall respectively have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution

(h) Service means the Military Lands and Cantonments (Assistant Military Estates Officers) Service (Group B) constituted under rule 3

3 Constitution of the Military Lands and Cantonments (Assistant Military Estates Officers) Service (Group B) — There shall be constituted a Service known as the Military Lands and Cantonments (Assistant Military Estates Officers) Service (Group B) consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7. All the posts included in the Service shall be classified as Group B post.

4 Authorised strength of the Service and its review —(1) The duty posts included in the Service their number and scale of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified below –

S No	Name of the Post	No of Posts	Scale of pay
1	Assistant Military Estate Officer	30	Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts shall be such as may, from time to time, be determined by the Government

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of duty posts as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in sub-rule (1) or exclude from the Service a post included in the said sub-rule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) of this rule to the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority after taking into account continuous regular service, in the analogous grade.

5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be the members of the Service—

(a) Persons appointed to the Service at the commencement of these rules under rule 6 from the date of such commencement.

(b) Persons appointed to duty posts after the commencement of these rules from the date they are so appointed

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such commencement be deemed to be a member of the Service in the corresponding grade.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding grade from the date of such appointment

6. Initial constitution of the Service.—(1) All officers appointed to the posts of Assistant Military Estates Officers in the erstwhile Military Lands and Cantonments Service on regular basis on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the Military Lands and Cantonments Service (Assistant Military Estates Officer) Service (Group B).

Note : The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) prior to their appointment to the Service shall count for the purposes of qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(2) To the extent the authorised regular strength in the Service is not filled at the time of the initial constitution, it shall be filled in accordance with rule 7.

7. Future maintenance of the Service.—(1) After initial constitution of the Service has been completed by the appointment of officers in accordance with rule 6, vacancies shall be filled in the manner as hereafter provided.

(2) 50 per cent of the substantive vacancies in the Service shall be filled by direct recruitment on the basis of selection to be made by the Commission in accordance with the age limit, minimum educational qualifications and experience as specified in the Schedule to these rules, failing which by transfer on deputation, the field of selection for transfer on deputation shall be as under :—

"Officers of the Central Government holding analogous posts and possessing educational qualifications and experience laid down for direct recruits in the Schedule"

(3) The remaining 50 per cent substantive vacancies and all temporary vacancies in the Service shall be filled by appointment of persons by promotion on the basis of selection on merit, included in the panel in the order of seniority in the panel prepared in accordance with the field of promotion and the minimum qualifying service is specified below —

(a) (i) Superintendent B/R Grade I with 3 years' regular service in the grade;

(ii) failing (i) above Superintendent B/R Grade I with 8 years' combined regular service in the grades of Superintendent B/R Grade I and Sub Divisional Officer;

(iii) failing (ii) above, Sub Divisional Officer with 8 years regular service in the grade, and

(b) Possessing at least a Diploma in Draftsmanship/Civil Engineering from a recognised Institution or equivalent.

(4) The selection of officers for promotion and confirmation shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the composition specified below :—

1. Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence —Chairman

2 Director General/Deputy Director General, ML&C —Member

3 Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. —Member.

Note 1 : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the D.P.C to be presided over by the Chairman or a Member of the U.P.S.C. shall be held.

Note 2 : If an officer is considered for the purpose of appointment to the Service, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service

8. Probation.—(1) Every person on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the Government may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time;

Provided further that the decision regarding the extension of probation period should be taken immediately after the expiry of the initial probationary period ordinarily within a period of 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of any extension in the probationary period.

(2) On completion of the period of probation, persons shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If during the period of probation, referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if, at any time during such period of probation, or extension thereof, the Government is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiry of such period of probation, or extension thereof, the Government may discharge or revert the candidate to his substantive post, as the case may be, or pass such orders as they deem fit

(4) During the period of probation, the candidates may be required by the Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit as a condition to satisfactory completion of the probation.

9. Appointment to the Service postings and transfers of members of the Service.—All appointments to the Service shall be made by the Government and the postings and transfers of the members of the Service shall be made by the Director General, Defence Lands and Cantonments

10. Liability for Service in any part of India and other conditions of Service.—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Officers if deputed shall be liable to serve any other Ministry/Department of the Government or Corporations and Industrial Undertakings of the Government

(3) Any person appointed to the Service, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period of not less than 4 years, including the period spent on training, if any, provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of 40 years.

(4) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in the rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Services, in general.

11. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes and the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

14. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

15. Repeal.—The Military Lands and Cantonments Service (Group A and Group B) Rules, 1951, as amended from time to time and in so far as they relate to posts to which these rules are applicable are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken under the said rules, before such repeal.

SCHEDULE

(See sub-rule (2) of rule 7)

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to the post of Assistant Military Estates Officer included in the Military Lands and Cantonments (Assistant Military Estates Officer) Service (Group B).

(a) Age Limit—Not exceeding 30 years (Relaxable upto 5 years for Government Servants).

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(b) Educational qualifications and other qualifications and experience.—(Essential : (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) 2 years' professional experience.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifiation(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[File No. 103/44/ADM/L&C(PC-II)]

M. C. JUNEJA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1982